न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- रोहित कुमार आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 486/2017

प्रार्थीगण 1. मोतीराम 2. दौलाराम 3. वीरमाराम 4. सांवलाराम 5. सुजाराम पुत्रान दुर्गाराम 6. श्रीमती हवादेवी पत्नी दुर्गाराम 7. परागाराम 8. मानाराम पुत्रान हुकमाराम सभी जातियान कलबी चौधरी निवासीयान जसोल तहसील पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण 1. नरपतसिह पुत्र जुगतसिह जाति राजपुरोहित निवासी मनणावास हाऊसिंग बोर्ड माजीवाला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

2. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक : 27.10.2020

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अचलाराम थोरी उपस्थित।

विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता देवीसिंह महेचा उपस्थित।

प्रार्थीगण ने न्यायालय में वर्तमान प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि "प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भुमि मूल खसरा सं. 701 रकबा 17 बीघा 06 विस्वा मौजा जसोल में आई हुई है, मूल खसरा में से जसोल फांटा हाऊसिंग बोर्ड से आसोतरा जाने वाली सड़क निर्मित हो जाने से तरमीमी खसरान, खसरा सं. 1975/701 रकबा 1 बीघा 03 विस्वा किस्म गैर मुमकिन सड़क, खसरा सं. 1976/701 रकबा 15 बीघा 16 विस्वा एवं खसरा सं. 1977/701 रकबा 07 विस्वा बने, विप्रार्थी के द्वारा एक गिरोह बना रखा है, और उनका मुख्य धंधा खातेदार व्यक्तियो की खुली पड़ी भुमियों को अनाधिकृत कब्जा कर हड़प करने का उपकम करना है, इसी कड़ी में विप्रार्थी ने प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा स्वामित्व मालिकाना की भुमि खसरा सं. 1977/701 रकबा 07 विस्वा भुमि के भाग पर अवैध व अनाधिकृत तरीके से प्रार्थीगण के सुस्थापित कब्जे में दखल हस्तक्षेप कर कब्जा कर भुमि को हड़प करना चाहते है, उक्त भुमि के संबंध में पहले सीमा का विवाद खड़ा किया, जिस पर प्रार्थीगण ने श्री न्यायालय से पत्थरगढ़ी का आदेश दिनांक 12.04.2013 को प्राप्त कर मौके पर बाद सीमाज्ञान नाप पैमाईश पत्थरगढ़ी करवाई, जिसके पत्थर मौके पर विद्यमान है, किन्तु ऐसे नाप पैमाईश एवं मौके पर की गई पत्थरगढ़ी को विप्रार्थी द्वारा नहीं माना जाकर अपनी मनमर्जी के मुताबिक अवैध अतिचार दिनांक 15.10.2017 को किया और प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को ऐसा करने से रोका और प्रार्थीगण ने अपने विधिक टाईटल के दस्तावेज जमाबन्दी खतौनी को बताकर समझाईश की, किन्तु विप्रार्थी ने प्रार्थीगण की बात को सुनने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि दूसरी जगह के दस्तावेज तैयार कर उक्त भुमि के भाग को हड़प कर लेगें, और विप्रार्थी के उक्त कृत्य से परेशान होकर विप्रार्थी को प्रार्थीगण के कब्जे में दखल हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु वादपत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण को खातेदारी की भुमि के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाता है, तो खातेदार टीनेन्ट प्रार्थीगण को ऐसी अपुर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा या अर्थ में करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आवश्यक सभी बिन्दु प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन, अपुर्णिय क्षति, साम्या का पवित्र सिद्धान्त रेकर्डेड खातेदार वादीगण प्रार्थीगण के हक पक्ष में विद्यमान है, दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विप्रार्थी को कोई असुविधा नही होगी। क्योकि विप्रार्थी सं. 01 खसरा सं. 1977/701 का खातेदार नही है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थी को जरीये नोटिस तलब किया, विप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र मय प्रतिप प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि, विप्रार्थी की खरीदसुदा भुखण्ड खसरा सं. 1001/757 जरीये एग्रीमेंट प्यारीदेवी का 37/940 हिस्सा आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी या हस्तक्षेप व अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है, दोनो राजस्व गावो के बीच पुराना कदीमी का रास्ता अवस्थित है, कटाण रास्ता पर वर्तमान में डामरीकृत सड़क चल रही है, विप्रार्थी की खरीदसुदा भूमि की तरफ किसी प्रकार का खसरा सं. 1977/701 रकबा 7 विस्वा अवस्थित नही है, दिनांक 12.04.2013 के पत्थरगढ़ी आदेश के कोई नोटिस विप्रार्थी को प्राप्त नही हुए और न ही मौके पर नाप किया, और न कोई

....2..पर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

नेखम कायम किये, अशोक कुमार प्रार्थीगण से मिला हुआ है, दोनो ने मिलकर 12.04.2013 की तारीख में फैसला गलत करवाया है, पटवारी आर आई से मिलकर झुठी पत्थगढ़ी करवाने का ढोग रचित किया है। प्रार्थीगण मोतीराम ने खसरा सं. 1003/757 मौजा माजीवाला की भूमि को हड़प करने के लिये वर्तमान में झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है, कटाण रास्ता की 26 फीट चौड़ाई की भूमि को प्रार्थीगण अवैध कब्जा कर हथियाकर हड़प करना चाहते है। खसरा सं. 701 में विप्रार्थी के पिता व दादा मालिक है, इस सम्बंध में भीखसिंह बनाम मोतीराम राजस्व विविध सं. 511/2017 पेश किया है, अतः काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है, कि विप्रार्थी द्वारा खसरा सं. 1001/757 में 37/940 व 1/16 हिस्सा खरीदसुदा का मालिक है, जिसके चारों और चारदीवारी बनाई हुई है, जिसमें प्रार्थीगण कोई दखल हस्तक्षेप नही करें इस आश्य की काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विप्रार्थी के काउन्टर क्लेम का जबाव प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया, और कथन किया कि मौके पर मुन्तकिल पोईन्ट से नाप कर पत्थरगढ़ी करवाई गई, खसरा सं. 1977/701 से विप्रार्थी का कोई सरोकार नही है, विप्रार्थी ने ऐसी कोई पैमाईश रिपोर्ट पेश नही की है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 1977/701 का भाग नही होकर 1001/757 का भाग हो। विप्रार्थी कोई काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन किया, पत्रावली का अवलोकन अध्ययन करने से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि खसरा सं. 701 मौजा जसोल में अवस्थित रहा है, जिसका रकबा 17.06 बीघा मुल रहा है, जिसमें से 03 खसरान नये बने, 1975/701 रकबा 1.03 बीघा राज्य सरकार के नाम, खसरा सं. 1976/701, 1977/701 खातेदारान जो वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण है, के नाम दर्ज है। पत्रावली के संलग्न फर्द नेखमबन्दी का अवलोकन अध्ययन किया, जिसमें सहायक कलेक्टर के आदेश से दिनांका 10.12. 2015 को टीम द्वारा नाप किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज उप तहसीलदार जसोल की रिपोर्ट 4.02.2016 के अनुसार मौके पर खसरा सं. 701 के मुल रकबा में से 1.3 बीघा भूमि सड़क का भाग है, इस कारण मौके पर खसरा सं. 701 का रोड़ निकालने से पश्चिम की तरफ जो छोटा भाग आता है, उसका रकबा 0.07 बीघा है। नक्शा लटटा ट्रेस में 7 बिस्वा भूमि की तरमीम अंकित है।

प्रार्थीगण ने जिस भूमि खसरा सं. 1977/701 रकबा 7 बिस्वा मौजा जसोल के सम्बंध में अनुतोष चाहा है, उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला खातेदार प्रार्थीगण के हक पक्ष में है, यदि विप्रार्थीगण द्वारा कोई अनुचित दखल हस्तक्षेप करके प्रार्थीगण के कब्जे, भूमि के उपयेाग उपभोग में अवरोध कारित किया जाता है, तो प्रार्थीगण अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित रह जायेगे, जिससे खातेदार प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी, एवं विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जे में दखल हस्तक्षेप करने से प्रार्थी को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वचित रहना पड़ेगा, जिससे खातेदार प्रार्थी को असुविधा होगी, इस प्रकार दौराने दावा खसरा सं. 1977/701 रकबा 7 बिस्वा मौजा जसोल के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी करने के सभी आधार प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है। विप्रार्थी ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में अपनी खातेदारी अधिकारों का रेकड़ जमाबंदी प्रस्तुत नही की है, और न ही कोई मौका फर्द नाप की रिपोर्ट ही पेश की है, इस प्रकार दौराने प्रतिपवाद प्रतिप अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के कोई अधिकार विप्रार्थी के हक में नही बनने पाये जाते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विप्रार्थी नरपतसिंह को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जाता है, कि प्रार्थीगण के कब्जा स्वामित्व की भुमि मौजा जसोल के खसरा सं. 1977/701 रकबा 07 बिस्वा भुमि के उपयोग उपभोग में कोई दखल, हस्तक्षेप, वाधा, अवरोध, विप्रार्थी न तो स्वयं कारित करे और न ही उनके एजेन्ट, सहयोगियों या गिरोह के सदस्यों से या अन्य किसी से ही ऐसा करावें, उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नही करे, विप्रार्थी की और से प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज तारीख 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर

(प्रदीप मुमार)

सहायक कलक्टर (S.D.O.).

बालोतरा (राज.)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner